भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1138
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

नागरिकों के हितों एवं गोपनीयता की सुरक्षा

1138. श्री प्रकाश जावडेकर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीकी आसूचना द्वारा विशेष रूप से इन्टरनेट पर पांचवां सबसे अधिक निगाह रखे जाने वाला देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका के निगरानी कार्यक्रम 'प्रिज्म एण्ड बाउण्डलैस इन्फोरमेशन ' का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार देश के हितों एवं इसके नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है?

उत्तर
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) तथा (ख): जून, 2013 में मीडिया की रिपोर्टों से यह खुलासा हुआ है कि अमरीका के इलैक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रमों के तहत फाइबर केबल और अन्य अवसंरचनाओं पर संचार अवरोधन के संदर्भ में भारत ऐसा पांचवा देश है जिसकी सबसे अधिक निगरानी की जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी एजेंसियों ने फाइबर केबल और अवसंरचना पर संचार के अवरोधन, वैश्विक इंटरनेट तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सर्वरों से सूचना एकत्र करने के साथ-साथ आसूचना इकठ्ठा करने के लिए अनेक तरीके अपनाए हैं। ऐसी कम्पनियों में गूगल, फेस बुक, माइक्रोसॉफ्ट,एप्पल,याहू, एओएल,यूट्यूब, पलटॉक तथा स्काईप शामिल हैं।

(ग) तथा (घ): सरकार ने अमरीका द्वारा भारत से होने वाले इंटरनेट परियात पर निगरानी रखे जाने पर चिंता व्यक्त की है। अमरीका को साधारण भारतीय नागरिक की सूचना की गोपनीयता से संबधित किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन करने और साथ ही साथ भारतीय नागरिकों अथवा सरकारी अवसंरचना पर लगाए गए अनुचित डाटा अभिग्रहण के संबंध में भारत की चिंता जाहिर कर दी गई है। अमरीकी साइबर निगरानी गतिविधियों के मुद्दें पर नई दिल्ली में दिनांक 24.06.2013 को आयोजित 'इंडो-यूएस स्ट्रेटिजिक डायलॉग ' बैठक के दौरान चर्चा की गई थी।

अमरीकी अधिकारियों ने यह प्रत्युत्तर दिया है कि प्रिज्म(पीआरआईएसएम) केवल मेटा डाटा पर (ट्रैफिक की दिशा तथा प्रवाह के संबंध में) कार्य करता है और केवल टेलीफोनी और इंटरनेट ट्रैफिक के मुख्य तौर-तरीकों की निगरानी करता है। अमरीकी अधिकारी अपनी इस बात पर कायम रहे कि इन निगरानी कार्यक्रमों के तहत डाटा कन्टेंट/ ई-मेल के कन्टेंट को अभिगम्य नहीं किया जाता अथवा उनकी निगरानी नहीं की जाती; इसलिए यह गोपनीयता का उल्लंघन करना नहीं है। अमरीका ने यह बताया था कि यदि उनकी ऐजेंसियों को इन निगरानी कार्यक्रमों द्वारा अवरोधित किसी भी डाटा के कन्टेट तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें इस संबंध में विदेशी आसूचना निगरानी अधिनियम (एफआईएसए) न्यायालय से पृथक रूप से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

******